



नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.10.22	पत्रावली पेश हुई। वर्गीकृत पक्षकारान उपरिच्यत है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी मध्यम्य दौरे/ अपकाश/अन्य राजकर्म में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि <u>29.11.22</u> को पेश हो।	
29.11.22	<p>पत्रावली पेश हुई। वर्गीकृत पक्षकारान उपरिच्यत है। बहल प्रार्थना पत्र ग.न. सुनी गई/वकील उग्रयपक्षकारान ने मौके की यथास्थिति बनाए रखे जाने पर सहमति व्यक्त की। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 एच एच वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर उग्रयपक्षकारान को ताफैलता बाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम मानपुरा पटवार क्षेत्र मानपुरा तहसील नैनवां की जमाबंदी संख्या 40 सम्बत् 2063 से 2066 की कृषि भूमि खसरा संख्या 331/366 रुकबा 10 बीघा 15 बीघा की मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।</p>	<p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी) </p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  </div>